

पायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला - खैरथल-तिजारा (राज०)

मुकदमा नम्बर  
20/2010

पीठासीन अधिकारी :- संजीव कुमार वर्मा (आर०ए०एस०)  
तारीख दायर  
08/02/2010

तारीख फैसला  
26/07/2024

- उनवान
1. दुलीचन्द पुत्र श्री रिछपाल (फौत),  
/1. सावित्री धर्मपत्नि स्व० श्री दुलीचन्द
  - /2. हाजरी
  - /3. पिकू
  - /4. राजू पुत्रान स्व० श्री दुलीचन्द
  - /5. पिकी पुत्री स्व० श्री दुलीचन्द जातियान माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

—:: वादीगण

बनाम

01. श्रीमति शान्ति देवी धर्मपत्नि स्व० श्री धन्नालाल पुत्र श्री रिछपाल
02. रमेश पुत्र श्री धन्नालाल
- 3/1. श्रीमति सुनीता धर्मपत्नि स्व० श्री सुरेश
- 3/2. छोदू पुत्र स्व० श्री सुरेश चन्द
- 3/3. कालूराम पुत्र स्व० श्री सुरेश उम्र करीब 16 साल नाबालिग जरिये वलीसरपरस्त माता श्रीमति सुनीता पत्नी स्व० श्री सुरेश चन्द
04. संजय पुत्र धन्नालाल
06. जगदीश पुत्र श्री धन्नालाल जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

—:: प्रतिवादीगण

दावा इशतकरारहक मय हुकमइम्तनाई दवामी  
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण

:- श्री विनोद सिंघल, एडवोकेट

उपस्थित

-:: पर्चा डिकी ::-

वादी का वाद डिकी किया जाकर हाल आराजी खसरा नंबर 2577/629 रकबा 1.34 है० व 2587/640 रकबा 0.53 है० वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कुल रकबे मे से 0.2650 है० रकबा पर प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 को समभाग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा, आर०ए०एस०)  
उपखण्ड अधिकारी,  
तिजारा (खैरथल-तिजारा)  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (खैरथल-तिजारा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला - खैरथल-तिजारा (राज०)

पीठारीन अधिकारी :- संजीव कुमार वर्मा (आर०ए०एस०)

तारीख दायर

08/02/2010

तारीख फैसला

28/07/2024

मुकदमा नम्बर  
20/2010

संशोधित डिक्री शीर्षक  
उनवान

01. दुलीचन्द पुत्र श्री रिछपाल (फौत),  
1/1 सावित्री धर्मपत्नि स्व० श्री दुलीचन्द
- 1/2. हजारीलाल
- 1/3. पिकू
- 1/4. राजू पुत्रान स्व० श्री दुलीचन्द
- 1/5. पिकी पुत्री स्व० श्री दुलीचन्द जातियान माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

-----:: वादीगण

**बनाम**

01. श्रीमति शान्ति देवी धर्मपत्नि स्व० श्री धन्नालाल पुत्र श्री रिछपाल
02. रमेश पुत्र श्री धन्नालाल
- 3/1. श्रीमति सुनीता धर्मपत्नि स्व० श्री सुरेश
- 3/2. छोटू पुत्र स्व० श्री सुरेश चन्द
- 3/3. कालूराम पुत्र स्व० श्री सुरेश उम्र करीब 16 साल नाबालिग जरिये वलीसरपरस्त माता श्रीमति सुनीता पत्नी स्व० श्री सुरेश चन्द
04. संजय पुत्र धन्नालाल
06. जगदीश पुत्र श्री धन्नालाल जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी  
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

:- श्री विनोद सिंघल, एडवोकेट

उपस्थित

वादीगण

यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला - खैरथल-तिजारा (राज०)

मुकदमा नम्बर  
20/2010

पीठासीन अधिकारी :- संजीव कुमार वर्मा (आर०ए०एस०)  
तारीख दायर  
08/02/2010

तारीख फैसला

26/07/2014

संशोधित निर्णय शीर्षक  
उनवान

1. दुलीचन्द पुत्र श्री रिछपाल (फौत),  
सावित्री धर्मपत्नि स्व० श्री दुलीचन्द
2. हजारीलाल
3. पिकू
4. राजू पुत्रान स्व० श्री दुलीचन्द
5. पिकी पुत्री स्व० श्री दुलीचन्द जातियान माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला  
अलवर (राज.)

-----:: वादीगण

बनाम


- श्रीमति शान्ति देवी धर्मपत्नि स्व० श्री धन्नालाल पुत्र श्री रिछपाल  
रमेश पुत्र श्री धन्नालाल
1. श्रीमति सुनीता धर्मपत्नि स्व० श्री सुरेश
  2. छोटू पुत्र स्व० श्री सुरेश चन्द
  3. कालूराम पुत्र स्व० श्री सुरेश उम्र करीब 16 साल नाबालिग जरिये वलीसरपरस्त माता श्रीमति  
सुनीता पत्नी स्व० श्री सुरेश चन्द
  4. सैजय पुत्र धन्नालाल
- जगदीश पुत्र श्री धन्नालाल जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर  
(राज.)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी  
अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

:- श्री विनोद सिंघल, एडवोकेट

उपस्थित

  
(संजीव कुमार वर्मा, आर०ए०एस०)  
उपखण्ड अधिकारी,  
तिजारा (खैरथल-तिजारा)  
तिजारा (खैरथल-तिजारा)